राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामकिशोर बनाम अशोक हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 935/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 22/01/2025 पारित करते हुये उभयपक्षों को जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुये व् विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 145, 137, 139, 138, 140, 155, 154 वाके ग्राम खतवाडा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अन्तरिम आदेश पारित करते हुये एवं तत्पश्चात व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना नही की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक था कि वे विधिक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये युक्तियुक्त आदेश पारित करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अन्तरिम आदेश को निरन्तर एवं यथावत कायम रखा जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम अधिनियम में अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर होते है। अत: अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश दिनांक 22/01/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामकिशोर बनाम अशोक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान 30 दिवस में युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पारित करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर